

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/08/2020

अपीलार्थी  
हरिसिंह पुत्र खेमचन्द यादव,  
ग्राम-पोस्ट रोडवाल, नीमराना,  
तहसील-नीमराना जिला-अलवर (राज.)

बनाम

पदाभिहित अधिकारी  
पदाभिहित अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)


प्रवेश तिथि : 05.03.2020

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011

निर्णय

दिनांक: 02.07.2020

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उप जिला कलक्टर बहरोड की न्याय शाखा में विचाराधीन प्रकरण सरकार बनाम लीलाराम वगै० कारोड्डा जिसमें गत तारीख पेशी 13 फरवरी, 2020 नियत थी, में गैर सायलान को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पाबंद करने के लिये उक्त शाखा से पत्रांक 01 दि० 30.01.2020 थानाधिकारी थाना बहरोड को जारी किया, की प्रमाणित मय कार्यवाही बाबत प्रार्थना-पत्र दिनांक: 19.02.2020 के माध्यम से अनुरोध किया था।
4. अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक: 19.02.2020 पर कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 03.03.2020 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2020/163-64 दिनांक: 05.02.2020 के माध्यम से तलब कर इस न्यायालय में दिनांक: 12.03.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उभयपक्ष के दिनांक: 12.03.20 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पत्रांक 211-12 दिनांक 16.03.2020 के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु लिखा गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपील के संबंध में अपना कोई जवाब पेश किया गया।
6. हमने प्रथम अपील का अवलोकन किया। उक्त अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रा०पत्र दिनांक 03.03.20 के संलग्नक प्रा०पत्र 19.02.20 पर पदाभिहित अधिकारी को राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत सेवा में 03 दिवस के अंदर सेवा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रथम अपील निर्णय दिनांक तक भी अपीलार्थी को सेवा प्रदान नहीं की गई है।
7. उक्त आलोक में राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत प्राप्त उक्त प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। परन्तु पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय प्राप्ति के 07 दिवस में पंजीकृत-पत्र के माध्यम से प्रा०पत्र दिनांक 19.02.20 चाही गयी नकल/सूचना उपलब्ध करावें एवं साथ ही भविष्य में राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत प्राप्त इस प्रकार के आवेदन का नियत समय-सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।



प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)